न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

A 3/17

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 86 / 2013

प्रार्थी

1.रामचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थी

1. गीतादेवी पत्नि हनुमानदास
2. सुरेश पुत्र हनुमानदास
3. रमेश पुत्र हनुमानदास
4. कन्हैयालाल पुत्र हनुमानदास
5. अशोक कुमार पुत्र हनुमानदास
6. किशन पुत्र नन्दलाल
7. शंकर पुत्र नन्दलाल
8. संतोष पत्नि नन्दलाल
9. राजूदेवी पत्नि पवन कुमार स्वामी
10. बिजू पुत्री पवन कुमार स्वामी जरिये कुदरती वली माता
11. हरिदास पुत्र देवदास
12. मंगलदास पुत्र देवदास सभी जाति साद निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
13. मैनेजर यू.को.बैंक शाखा कुचामनसिटी
14. राज.सरकार जरिये प्रतिनिधिं तहसीलदार कुचामनसिटी
15. ज्ञानदीप एज्यूकेशन सोसाईटी जयपुर जरयि अध्यक्ष बिशप ओसवाल्ड लुईस पुत्र जेवियर लुईस जाति ईसाई सा.घाट गेट जयपुर

प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलाने बाबत ।
अन्तर्गत धारा 251(A) आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :– 28/5/15

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलाने बाबत अन्तर्गत धारा 251(A) आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया । जिसका सार संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कब्जा शुदा खातेदार की भूमि ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 166 रकबा 2.54 हैक्टर स्थित चली आ रही है । प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 173 के दक्षिणी सींवा पर से आते जाते है । राणासर से जिलिया जाने वाले रास्ते पर स्थित खसरा नम्बर 173 के दक्षिणी

......2..........

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

सींवा पर पूर्वी से पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 166 में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई विकल्प नही है इसलिए रास्ता का आवेदन करना आवश्यक हुआ है । प्रार्थी उपरोक्त बाधित रास्ता हेतु सरकार द्वारा तय किया जाने वाला मुआवजा अदा करने को तैयार है । प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते हेतु नजरी नक्शा की प्रति प्रस्तुत कर इस्तदुआ अनुसार राणासर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 166 में जाने के लिए खसरा नम्बर 173 के दक्षिणी सीवा पर पूर्वी से पश्चिमी राणासर से जिलिया मार्ग से 6 मीटर चौड़ाई का रास्ता खसरा नम्बर 166 में प्रवेश तक अप्रार्थीगण से दिलाया जावे ।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया । अप्रार्थीगण 1से 12 द्वारा अपने जरिये अधिवक्ता उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सख्या 13 अनुपस्थित । अप्रार्थी सं.14 से मौके की रिपोर्ट चाही गयी । जिसके द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत की । जो शामिल मिसल उपलब्ध है । दौराने सुनवाई प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना–पत्र आर्डरं 1 रूल्स10 सी.पी.सी का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 163 नजदीक पड़ता है, इसलिए ज्ञानदीप एज्यूकेशन सोसायटी को पक्षकार बनाया जावे । प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 15 ज्ञानदीप एज्यूकेशन सोसायटी को पक्षकार बनाया गया । अप्रार्थी संख्या 15 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. करवाई गई । तत्पश्चात वकील प्रार्थी के आवेदन पर जरिये अखबार स्याहा तलबी कराई गई । दिनॉक 19.12.2014 के दैनिक नवज्योति पेपर में सम्मन द्वार इतला जारी की गई । अप्रार्थी सं. 15 अनुपस्थित रहा । जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई । अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के विरूद्व अनुतोष नही रहने से इन्हे फोरमल पक्षकार रखा गया । वकील प्रार्थी ने दिनॉक 29.04.2015 को प्रार्थना– पत्र पेश किया गया । जो शामिल मिसल उपलब्ध है ।

प्रार्थी द्वारा चालू जमाबन्दी की नकल एव नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की । तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कराकर अपने पत्रांक/भू.अ./2014/215 दिनॉक 31.01.2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । प्रार्थना– पत्र दिनॉक 29.04.2015 पेश किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है । प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनाई एवं बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वकील ने दौराने बहस बताया कि प्रश्नगत भूमि में जाने के लिए खसरा नम्बर 173 के बजाय खसरा नम्बर 163 नजदीक पड़ता है । रास्ता नही है । इसलिए खसरा नम्बर 163 मे से रास्ता दिलाया जावें । अप्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड एडी एवं अखबार स्याहा करा तलब किया गया ,अप्रार्थी अनुपस्थित रहे ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 173 की पश्चिमी सीमा के समानान्तर रास्ता देने पर 300 फीट रास्ते की लम्बाई बनती है, तथा खसरा नम्बर 163 से 166 मे जाने के लिए 280 फीट दूरी बनती है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 ए में जो नजदीकी रास्ता हो वही दिया जाना है । इसलिए खसरा नम्बर 163 की पूर्वी सीमा 280 फीट लम्बाई यानि 86 मीटर लम्बाई एवं 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहने पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश दिये जाते है ।

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

......3...........

आदेश

ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 166 में आवागमन आमद–रफत हेतु खसरा नम्बर 163 मे से खसरा नम्बर 173 के सहारे–सहारे 280 फीट लम्बा यानि 86 मीटर लम्बा एंव 5 मीटर चौड़ा कुल 430 मीटर भूमि खातेदार ज्ञानदीप एज्यूकेशन सोसायटी जयपुर राजस्थान जरिये अध्यक्ष विशप ओसवाल्ड लुईस पुत्र जेवियर लुईस जाति ईसाई सा. घाट गेट जयपुर के खसरा नम्बर 163 में कम कर कटाणाी रास्ता कायम किया जाता है । प्रार्थी उक्त रास्ता की एवज में मुआवजा राशि डी.एल.सी. दर 212500/–प्रति हैक्टर से 0.0430हैक्टर की राशि 9138/– रूपये की दोगुनी 18276/– रूपये जरिये डी.डी./ड्राफट/चैक बैंक में जमा कराकर पेश करने पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो । अप्रार्थी संख्या 15 ज्ञानदीप एज्यूकेशन सोसायटी जयपुर राजस्थान जरिये अध्यक्ष विशप ओसवाल्ड लुईस पुत्र जेवियर लुईस जाति ईसाई सा. घाट गेट जयपुर उक्त राशि प्राप्त करने हेतु न्यायालय में एक माह में उपस्थित होकर राशि प्राप्त कर लेवे ।

आदेश सरेआम केम्प आनन्दपुरा में दिनांक 28.5.2015 को सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)